



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3— Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 248] नई दिल्ली, बुधवार, मई 18, 1994/वैशाख 28, 1916
No. 248] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 18, 1994/VAISAKHA 28, 1916

मंत्रिमंडल मंत्रालय

ग्रथिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 1994

का. घा. 380 (अ) :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत (कार्य आबंटन) (दो सौ चौबीसवां संशोधन) नियम, 1994 है।
- (2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य श्रावण) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में:—

(क) "शूद्र मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत "ख. राज्य विभाग" उप-शीर्षक के नीचे प्रविष्टि 13 के पश्चात् निम्नलिखित, प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

"14. मानव अधिकार:—

- (i) मानव अधिकारों के मामलों के संबंध में साधारण नीति के लिए नोडलीय अभिकरण के रूत में, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, या इस संबंध में कोई अन्य संस्थागत व्यवस्था भी है, कार्य करता ;
 - (ii) पुलिस और अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों द्वारा की गई अभिकथित ज्यादतियों से संबंधित मानव अधिकारों के अतिक्रमण ।
- टिप्पण:—मानव अधिकारों और उनसे संबंधित नीति विषयक मुद्दों के, जिनमें विनिर्दिष्ट समूह जैसे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य, महिलाएं, अल्पसंख्यक, बालक, वधुप्रा मजदूर आदि अंतर्भूत हैं, परीक्षण का उत्तरदायित्व संबंधित मंत्रालय/विभाग का होगा ।
- (iii) देश के भीतर मानव अधिकार और अन्य संबंधित संगठनों से पारस्परिक प्रभाव और विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों से समन्वय ;
 - (iv) विदेश में मानव अधिकार संगठनों से पारस्परिक प्रभाव ;
 - (v) अंतरराष्ट्रीय घोषणाएं, संधियों, अभिसमय और सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र और उसके अन्य विधिगत अभिकरणों और संगठनों से प्राप्त निर्देश और उनकी यात्रा समन्वय ।"
- (ख) "मानव संसाधन विकास मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत "घ. महिला और बाल विकास विभाग" उपशीर्षक के नीचे, प्रविष्टि 15 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

"16. राज्ञ और पोषण बोर्ड"।

शंकर दयाल शर्मा
राष्ट्रपति

[सं. 74/2/5/93-संवि.]
ब्रिजय कुमार दाम, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 1994

S.O. 380(E).— In exercise of the powers conferred by clause(3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and twenty-fourth Amendment) Rules, 1994.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule, —

(a) under the heading "MINISTRY OF HOME AFFAIRS (GRIH MANTRALAYA), under sub-heading "B. DEPARTMENT OF STATES (RAJYA VIBHAG)", after entry 13, the following entry shall be added, namely :—

*14. Human Rights :—

- (i) to act as nodal agency for the general policy regarding "Human Rights" matters, including National Human Rights Commission, or any other institutional arrangements in this regard ;
- (ii) human rights violations relating to alleged excesses by personnel of police and paramilitary forces;

Note : The preservation of human rights and policy issues relating thereto involving specific groups like members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, women, minorities, children, bonded labour, etc., will be the responsibility of the concerned Ministries/Departments ;

- (iii) interaction with Human Rights and other related organisations within the country and coordination with various Ministries and State Governments ;
- (iv) interaction with Human Rights organisations abroad ;
- (v) International Declarations, Treaties, Conventions and Conferences ; references received from the United Nations and other specialised agencies and organisations thereof and co-ordination in respect thereof." ;

- (b) Under the heading "MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (MANAV SANSADHAN VIKAS MANTRALAYA)", under sub-heading "D. DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (MAHILA AUR BAL VIKAS VIBHAG)", after entry 15, the following entry shall be added, namely :—

"16. Food and Nutrition Board."

SHANKER DAYAL SHARMA,
PRESIDENT

[F. No. 74|2|5|93-Cab.]
B. K. DAS, Jt. Secy.